(9)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) थान्दला जिला झाबुआ (म0प्र0)

कमांक/अ0अ0पु0/री0/थां0/ 373 /09 दिनांक - 9/3/09

प्रति,

पुलिस अधीक्षक महोदय
जिला झाबुआ

विषय :- रायपुरिया में आरक्षकों के पीटने से आदिवासी की मौत, हंगामा सम्बन्धी।

सन्दर्भ :- आपका पत्र कमांक/स्टेनों/58/09 दिनांक 10.2.09 ।

---000---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि घटना दिनांक 14.1.09 को फरियादी कमलेश पिता कालू मेड़ा भील उम्र 25 वर्ष निवासी रायपुरिया ने थाना रायपुरिया में रिपोर्ट किया कि उसका पिता कालू पिता थावरिया व काका जग्गू पिता थावरिया मेड़ा दोनों रायपुरिया मे शराब की दुकान के पास बैठे थे कि शाम करीब पांच बजे थाना रायपुरिया का पुलिस जवान करतारसिंह व उसके साथ एक अन्य पुलिस जवान दोनों आये व उसके पिता कालू मेडा व काका जग्गू मेड़ा को गाली-गुप्ता कर लातों व लट्ठ से मारपीट करने लगे। कालू के पेट में लात मारी जिससे वह बेहोश हो गया, तब वह अपने पिता कालू को मोटरसायकल से अपने घर ले गया। पुलिस जवानों द्वारा मारपीट करने से लगी चोंटो से उसके पिता कालू पिता थावरिया मेड़ा की मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर थाना रायपुरिया में अप0 क0 10/09 धारा 302 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है।

प्रकरण की विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर थाना रायपुरिया में पदस्थ आरक्षक कमांक 407 करतारसिंह पिता रोड़ीलाल मेड़ा भील उम्र 30 वर्ष निवासी चकपटोडी जिला गुना व आरक्षक 619 ईश्वरसिंह पिता हीरालाल मचार भील उम्र 36 वर्ष निवासी कुन्दनपुर जिला झाबुआ को दिनांक 15.1.09 को गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक निरोध में भेजा गया है।

उपरोक्त घटना को लेकर मृतक कालू पिता थावरिया मेड़ा के परिजनों द्वारा दिनांक 14.1.09 की रात्रि में 8.00 बजे एकमत होकर थाना रायपुरिया में आकर थाने पर पथराव करने लगे थाना परिसर में खडे शासकीय वाहन के कांच फोड़ दिये तथा थाने की खिड़कियों व

वेन्टीलेशन के पत्थर मारकर कांच फोड़ दिये । थाने में मौजूद कर्मचारियों को पत्थर की चोंटे लगी जिससे पुलिस ,,द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिये चार अश्रु गोले छोडे गए थे। पुलिस द्वारा कोई लाठीचार्ज या हवाई फायर नही किये गए थे। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रायपुरिया में 11/09 धारा 147,148,149,332,427,353 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण विवेचनाधीन है।

मृतक कालू पिता थावरिया मेडा निवासी रायपुरिया के परिजनों को भारतीय रेडकास सोसायटी शाखा झाबुआ से 5000 रूपये तथा मृतक का नाम बी0पी0एल0 सूची में होने से जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा 10000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

वांछित प्रतिवेदन अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नः—

1. सन्दर्भित पत्र–1
2. थाना रायपुरिया के अप0क0 10/09 धारा 302 भादवि0 के एफ0आई0आर0 की छांयाप्रति–1
3. थाना रायपुरिया के अप0क0 11/09 धारा 147,148,149, 332,427,353 भादवि0 के एफ0आई0आर0 की छांयाप्रति–1
4. मृतक कालू पिता थावरिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छांयाप्रति–1
5. मृतक के परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता की रसीद की छांयाप्रति–2

9/3/09

अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)
थान्दला